

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०
पंतनगर, पो० हल्दी, जनपद : उधम सिंह नगर

प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम
ई-निविदा 01/SPD/Bihar Rajya/CS/2025-26

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा बिहार राज्य मे रबी 2025-26 प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए विभिन्न निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से ई-निविदा की दो बिड व्यवस्था के अन्तर्गत निविदादाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सक्षम एवं इच्छुक प्रमाणित बीज उत्पादक संस्थाएं ई-निविदा के लिये निर्धारित प्रारूप पत्र पर ई-निविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार भाग ले सकते हैं।

ई-निविदा के शर्तें निम्नवत है:-

- 1 निविदा मे बिहार राज्य की वह संस्था/आर्गनाइजर/आपूर्तिकर्ता प्रतिभाग कर पाएगी जिनकी स्वयं की बीज उत्पादन/विधायन/भंडारण/आपूर्ति एवं बीज विक्रय तथा परिवहन की क्षमता हो। तथा उक्त से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2 आर्गनाइजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई विकास निगम को उपलब्ध कराये जाने वाले गेहूँ फसल/प्रजातिवार लक्ष्य की पूर्ति हेतु आधारीय बीजों का क्रय कर कृषकों के प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन हेतु स्वयं के संसाधन से वितरण करायेगा तथा निगम के नाम पर फसल प्रक्षेत्र पंजीकृत कराते हुए फसल निरीक्षण किया जायेगा। उत्पादित की जा रही फसल प्रजातिवार लक्ष्य आर्गनाइजर /आपूर्तिकर्ता को उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। तत्पश्चात आर्गनाइजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा असंसाधित बीजों का अन्तःग्रहण स्वयं के व्यय पर अपने बीज विधायन संयंत्रों/गोदामों में बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के मानकों के अनुरूप किया जायेगा। विधायन हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था के पैकिंग/टैगिंग/प्रसंसकरण शुल्क तथा उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई विकास निगम के बैग भी आर्गनाइजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। बैग हेतु Logo तथा अन्य विवरण की प्रिन्टिंग का डिजाइन उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई विकास निगम द्वारा प्रदाय किया जायेगा। उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई विकास निगम द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को बीजों की आपूर्ति हेतु आमंत्रित निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा तथा प्राप्त सफ़ाई ऑर्डर के विरुद्ध बिहार राज्य बीज निगम द्वारा दिये गये गन्तव्यों पर आर्गनाइजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर बीजों का परिवहन किया जायेगा।
- 3 उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी०डी०सी० द्वारा आर्गनाइजर/आपूर्तिकर्ता से उत्पादित करायी गयी बीज मात्रा में से बिहार राज्य बीज निगम को आपूर्ति की गयी बीज मात्रा के अतिरिक्त कोई बीज मात्रा अवशेष रहती है तो उसकी वित्तीय एवं विधिक रूप से किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी०डी०सी० लि० की नहीं होगी तथा आर्गनाइजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा टैग की गयी अवशेष बीज मात्रा के टैग भी उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी०डी०सी० लि० को वापस किये जायेंगे जिसका अतिरिक्त व्यय का वहन भी आर्गनाइजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

- 4 बिहार राज्य बीज निगम से प्राप्त सप्लाई ऑर्डर के विरुद्ध आपूर्ति की गयी बीज मात्रा का भुगतान उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0 लि0 द्वारा बिहार राज्य बीज निगम से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0 लि0 का सर्विस मार्जन एवं वैधानिक देयताओं की कटौती उपरान्त आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता को की जायेगी।
- 5 आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजों के उत्पादन, विधायन, पैकिंग एवं टैगिंग, भण्डारण, परिवहन, विक्रय इत्यादि के समस्त व्यय का वहन किया जायेगा तथा बिहार राज्य बीज निगम को आपूर्ति दर में से बिहार राज्य बीज निगम के कमीशन को घटाते हुए शेष धनराशि पर उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0लि0 का सर्विस मार्जन दिया जायेगा जो किसी भी दशा में 3% से कम नहीं होगा।
- 6 यह निविदा दो प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) ई-निविदा के तहत 40,000 कुं0 (गेहूँ फसल/प्रजाति Unnat PBW 343 मात्रा 5000 कुं0 तथा गेहूँ फसल/प्रजाति D.B.W.187 35000 कुं0) गेहूँ बीज हेतु आमंत्रित की जा रही है। आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा कम मात्रा हेतु भी आवेदन किया जा सकता है। जो निविदादाता उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0लि0 को न्यूनतम 3% सर्विस मार्जिन से अधिक का सर्विस मार्जिन निविदा में अंकित करेगा उसे वरीयता दी जायेगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि निगम द्वारा प्रदाय की जा रही बीज उत्पादन मात्रा 40,000 कुं0 का यदि एक ही आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति हेतु आवेदन किया जाता है तो इस स्थिति में अधिकतम उत्पादन कार्यक्रम करने वाला आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता व सर्विस मार्जिन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर उक्त आधार पर ही निगोसिएशन की कार्यवाही निविदा को अन्तिम रूप देने हेतु की जा सकती है।
- 7 आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा आवेदित बीज मात्रा का न्यूनतम 75 प्रतिशत बीज का उत्पादन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8 ई-निविदा शुल्क **रु0 2000.00+18% G.S.T. 360.00=2360.00** (नान रिफण्डेबल) आर0टी0जी0एस0 निगम के खाता संख्या U.K. Seeds and Tarai Development Corporation Ltd., Payable at S.B.I. Haldi , Account No- 11543877028, IFSC : SBIN0001251 में अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो S.B.I. Haldi, या रुद्रपुर के किसी भी Scheduled/ Nationalized Bank में निगम के पक्ष में देय होगा।
- 9 तकनीकी निविदा के साथ रु0 10,00,000.00 (रुपये दस लाख) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो आर0टी0जी0एस0 निगम के खाता संख्या U.K. Seeds and Tarai Development Corporation Ltd., Payable at S.B.I. Haldi , Account No- 11543877028, IFSC : SBIN0001251 में अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो S.B.I. Haldi, या रुद्रपुर के किसी भी Scheduled/ Nationalized Bank में निगम के पक्ष में देय होगा।
- 10 आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा तकनीकी बिड के साथ सभी अनिवार्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित एवं स्पष्ट रूप से पठनीय प्रति अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। आवश्यक प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत न करने की दशा में आवेदक के पंजीकरण को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- 11 आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता को एनेक्चर के अनुसार आवेदन पत्र जमा किया जाना होगा।
- 12 तकनीकी निविदा खुलने के पश्चात आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ताओं के संयंत्र एवं गोदामों का स्थलीय निरीक्षण उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि0 की गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें सफल पाये जाने वाले आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

- 13 प्रि बिड कान्फरेंस निविदा में निर्धारित तिथि एवं समय पर उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० के मुख्यालय में आयोजित की जायेगी।
- 14 सफल आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कार्यादेश प्राप्त होने के उपरांत निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर रू० 100.00 के नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा।
- 15 आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा आधारीय बीज की व्यवस्था कर कृषकों के प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन, बीजों का अन्तःग्रहण, विधायन प्रमाणीकरण संस्था के मानकों के अनुरूप किया जाएगा। जिसमें कृषकों को आधारीय बीज वितरण, परिवहन, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० के नाम पर पंजीकरण, ग्रेडिंग एवं प्रसंस्करण, बीज प्रमाणीकरण संस्था का पैकिंग एवं प्रसंस्करण शुल्क, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० के नाम का बैग एवं बिहार राज्य बीज निगम द्वारा दिए गये गन्तव्यों तक बीजों का परिवहन इत्यादि शामिल होंगे।
- 16 केवल उन्हीं बीजों का विक्रय बिहार राज्य बीज निगम को किया जाएगा जो बिहार राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की बीज परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बीज मानकों के अनुरूप पाये गये हों एवं आपूर्ति किए गये बीजों में गुणवत्ता से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त न हो। आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा अन्तिम भुगतान जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० के क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 17 प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक समस्त दस्तावेज आर्गनाईजर /आपूर्तिकर्ता द्वारा बनाए रखे जाएंगे। क्षेत्र/विधायन/भंडारण/वितरण के स्तर पर किसी भी शिकायत अथवा वैधानिक स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा एवं उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० को वित्तीय नुकसान उठाए बिना उससे उत्पन्न होने वाली समस्त वित्तीय देनदारियों को वहन करेगा। यदि किसी प्राप्त शिकायत के कारण उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० को ग्राहक से भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० के समक्ष भुगतान का हकदार नहीं होगा।
- 18 उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम के बीज उत्पादन अधिकारी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता को प्रक्षेत्र के चुनाव, फसल निरीक्षण, फसल पंजीयन, अन्तःग्रहण/विधायन, ग्रेडिंग, पैकिंग, टैगिंग का अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जायेगा जिसमें आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता द्वारा उनको पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- 19 उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम और आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता के मध्य हुए समझौते से उत्पन्न या उसके अन्तर्गत किसी प्रावधान के निष्पादन, क्रियान्वयन या व्याख्या से सम्बन्धित कोई भी या समस्त विवाद भारतीय मध्यस्ता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० के प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियुक्त एक मात्र मध्यस्त को भेजे जाएंगे। ऐसी मध्यस्ता उत्तराखण्ड राज्य के उधम सिंह नगर जनपद में संचालित की जाएगी तथा मध्यस्त द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम मान्य होगा तथा उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि० और आर्गनाईजर/आपूर्तिकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

Technical Bid

Annexure-A

**UTTARAKHAND SEEDS AND TARAI DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A GOVERNMENT OF UTTARAKHAND UNDERTAKING)**

Head Office — Pantnagar, P.O Haldi, Distt. Udham Singh Nagar 263145 Uttarakhand
Telephone No :09837633036, 9719758040, 9568900002
Email : tdc@uaseedsandtdc.com

1. Name of the Region & Wheat Crop for which the Organizer/ Supplier is applying for:

S.No	Crop Category	Variety	Required Quantity in Qtls	Applied Quantity in Qtls
1	WHEAT	Wheat DBW-187 C/S	35000.00	
		UNNAT PBW-343 C/S	5000.00	

2. Name of Applicant : _____
Firm/Company (in Block Letters) : _____

3. Complete mailing address : _____

Telephone (Office) : _____

Mobile No. : _____

E-mail : _____

4. Seed licence No. (Valid) :-----

5. Seed Processing Plant Registration No. (Valid) :-----

a. Capacity of Processing Plant (TPH) :-----

b. Address with contact number :-----

7. Seed Storage Facility:
(As per Seed Standards)

a. Capacity in Qtls. :-----

b. Own/Lease/Rental

c. Address with contact number

8. PAN No.-----

9. GST Registration No.-----

10. Name of Bank and Account No.: _____

12. **Past experience for 3 years in dealing with Seed Production and Supply to Govt. agencies:**

(Annual Production and Supply should be minimum 10,000 quintals)

S.No	Name of the Govt. Agency/ Govt.Dept	Year of Supply	Product Supplied in Quintals	Value of supply Order (Rs in Lakhs)

13. **Annual turnover during the last three years (Rs. In Lakhs) as per audited annual accounts and Income Tax Returns:** (Annual turnover should be minimum Rs. 5 crore or average Rs. 5 Crore for the Last three year)

S.No	Financial Year	Total turnover
1	2024-25	
2	2023-24	
3	2022-23	

14. I hereby certify that all the information mentioned above are true and nothing has been concealed.
In case any information is found to be incorrect, my application may be treated as rejected by UK SEEDS AND TDC LTD. Management.

Sign_____

Name _____ Seal_____

Place & Date

Self attested and clear copies of the Following Documents are Mandatory to be uploaded online with the technical bid and hard copies of the Tender fee and EMD proof should reach Head office. UK Seeds and TDC. - before closing of tender.

1	Proof of Tender Fees of Rs. 2000+ 18% G.S.T =2360.00
2	Proof of Earnest Money deposited Rs. 10,00,000.00
3	Copy of valid Seed License.
4	Copy of valid Registration certificate of Seed Processing Plant.
5	Copy of PAN and GST Registration.
6	Certificate of Registration of firm/Incorporation/Partnership Deed/ Proprietorship Certificate as the case may be.
7	Copies of Income tax returns for the year 2021-22,2022-23, 2023-24 & 2024-25 (Any Three Years)
8	Audited annual balance sheet and profit & loss account for the year 2021-22, 2022-23, 2023-24 & 2024-25 (Any Three Years)
9	Annual Turnover certificate for last three years duly attested by the Chartered Accountant (Minimum Turnover Rs. 5 Crore/year or average Rs. 5 Crore per year for the past three years).
9	Duly attested copies of orders from Govt. Deptt. /Govt. Agencies etc for last three years.(Minimum 10000 quintals seed for each year)
10	Affidavit for not black-listed/debarred by any Central/State Govt. or Central/ State Agencies in Rs. 10 non judicial stamp paper duly attested by notary .
11	Acceptance of all the Terms and conditions mentioned in the Tender for Registration as Organizer/ Supplier of UK SEEDS AND TDC in Rs. 10 non judicial Stamp paper duly attested by notary.

ई-निविदा निम्न विवरणानुसार आयोजित की जायेगी:-

क्र० सं०	विवरण	प्रस्तावित तिथि	समय
1.	ई-निविदा परिपत्र का प्रकाशन की तिथि एवं समय	28.09.2025	10:00 बजे पूर्वान्ह
2.	ई-निविदा परिपत्र की बिक्री/डाउनलोड की तिथि एवं समय	29.09.2025	03:00 बजे से अपरान्ह
3.	प्रि बिड कान्फ्रेंस तिथि एवं समय		
4.	ई-निविदा जमा करने /अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय	13.10.2025	05:00 बजे अपरान्ह तक
5	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	14.10.2025	03:00 बजे अपरान्ह
6	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय		3:00 बजे अपरान्ह
7.	ई-निविदा को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु बैठक, तिथि एवं समय		3:00 बजे अपरान्ह